न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 18/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22/5/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी-3072/2018/रीवा/भू.रा.

सूर्यपाल कहार तनय शिवदयाल कहार उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम पिड़रिया सेंगर थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. विश्वनाथ सिंह तनय रामराज सिंह उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि ,
2. सूर्यकिरण सिंह पत्नी धर्मराज सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पिड़रिया सेंगर, दोनो निवासी ग्राम पिड़रिया सेंगर थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

....उत्तरवादीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क0 66/अपील–6/2015–16 राजस्व प्रकरण विश्वनाथ सिंह विरूद्ध सूर्यपाल व अन्य मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2018 को निरस्त किये जाने बावत् ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर ,

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पिड़रिया सेंगर के कार्यालय मे ग्राम व पटवारी हल्का पिड़रिया सेंगर रा.नि.म. देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा मे स्थित भूमि आराजी नं0 516/1 जुज रकवा 0.245 हे0 मे से 0.101 हे0 का नामान्तरण किये जाने हेतु वर्ष 2003–04 मे आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त आराजी के नामान्तरण के संबंध मे इस्तहार उद्घोषणा का प्रकाशन विधिवत् किया गया जिसमे उत्तरवादीगण क0 1 के बड़े भाई भानुप्रताप सिंह जो कर्ता–खानदान थे, के द्वारा नामान्तरण मे वास्ते निकाले गये इस्तहार एवं उद्घोषणा पत्र मे अपने हस्ताक्षर गवाह रामबहोरी कहार, शोभनाथ कोल, शुग्गा कोल असरूद्दीन एवं चौकीदार मुबारकअली के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर नामान्तरण मे अपनी सहमति व्यक्त की थी। तत्पश्चात ग्राम पंचायत पिड़रिया सेंगर के सरपंच गैरनिगराकार क0 2 द्वारा उक्त नामान्तरण को प्रमाणित कर नामान्तरण पंजी कमांक 07 आदेश दिनांक 02.10.2004 द्वारा नामान्तरण संपन्न

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(53)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3072/2018/रीवा/भू.रा. जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी ....SDO.... ....हुजूर.... के प्रकरण क्रमांक ....66/अपील/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक ..1-5-18.... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ....कलेक्टर रीवा.... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ...18-10-19... को ....कलेक्टर रीवा.... के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	